न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारी:– श्री हरजी लाल अटल (आई ए एस)

पंचायत निगरानी संख्या 09 / 2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. भोमाराम पुत्र श्री कानाराम 2. किशनाराम पुत्र श्री कानाराम जातियान भील, निवासीगण:– ग्राम सगरा तहसील देचू जिला जोधपुर (वर्तमान फलौदी)		1. जगदीश सांखला पुत्र लक्ष्मीचन्द सांखला जाति जीनगर, निवासी – सांखला निवास, के –72, प्रताप नगर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार देचू द्वारा प्रकरण संख्या 01 / 2021 अनवान जगदीश सांखला बनाम भोमाराम वगैरा में दिनांक 15.07.2021 को पारित किया गया।

उपस्थित वकील –:

अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता उगराराम उदाणी।

रेस्पोडेण्ट्स की ओर से:– अधिवक्ता श्री राधेश्याम चाण्डा व अन्य।

दिनांक:– 28/5/2024

निर्णय

1. अपीलाधीन अपील अन्तर्गत धारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत की है।
2. अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रामदेव नगर तहसील देचू के खसरा संख्या 67 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा संख्या 69 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरा दो कुल रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा भूराराम वगैरा से दिनांक 02.12.2014 को खरीद की। एवं अप्रार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 05.12.2014 को स्वीकृत हुआ। रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया एवं प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। प्रार्थी ने आगे कथन किया कि कोविड –19 की महामारी के चलते अप्रार्थीगण ने मौके का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया। दिनांक 15.12.2020 को मौके पर आया तो पता लगा कि अप्रार्थीगण ने कब्जा कर लिया। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के रेकर्ड खातेदारी जो ग्राम रामदेव नगर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर खसरा संख्या 67 रकबा 8.07 बीघा, खसरा संख्या 69 रकबा 15. 02 बीघा में बनाये मकान से जरिये पुलिस इमदाद के बेदखल किया जावे तथा मौके का पुनः कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया जाने का आदेश फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पटवारी हल्का से रिकार्ड एवं मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.07.2021 को अपीलाधीन

जिला कलक्टर
फलौदी

Scanned with OKEN Scanner

आदेष पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश आदेश दिनांक 15.07.2021 के विरूद्व यह अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांट ने अपील म्याद के अंदर की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी के द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। निगरानी में अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम चाण्डा एवं अन्य ने वकालातनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार देचू से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकियाति, तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय न्याय नियम एवं अभिलेख के विपरित होने के कारण काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण काबिले खारिज है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुए। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय काबिले खारिज है। अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेन्टस दोनो ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के होने के कारण धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील को स्वीकार जाकर गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने अपनी बहस में बताया कि उक्त भूमि जो संवत 2049 से 2052 की जमाबन्दी में भूराराम, पोलाराम, ताराराम, खेराजराम, प्रभुराम पुत्र जेठा, मु. लाछो बेवा जेठाराम, डुगरराम पुत्र भैराराम, ताजा, सांगा पिता चुनाराम, गंगा, किशना पुत्र पेमा, खेता पुत्र मगा कौम मेगवाल के नाम से दर्ज थी जो वक्त सेटलमेन्ट से अनुसूचित जाति वर्ग यानि भूराराम वगैरह के वारिसान के नाम से रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि जो भूराराम वगैरह के पूर्वजो के नाम से वक्त सेटलमेन्ट से दर्ज थी अप्रार्थी जगदीश सांखला ने उक्त भूमि जरिये विक्रय विलेख 02.12.2014 को खरीद की है, उस दिन से मौके पर उसका कब्जा था जिसका नामान्तकरण दिनांक 05.12.2014 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 30 के अप्रार्थी के नाम से रेकर्ड खातेदारी दर्ज हुई तथा दिनांक 18.06.2015 अप्रार्थी के अपने शेष हिस्से की तारबन्दी के लिये पत्थर डाले तो प्रार्थीगण ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी । और उसके हिस्से की भूमि में कब्जा करने की कोशिश की। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रार्थी द्वारा पुलिस थाना देचू में दर्ज करवाई जिसकी चार्जशीट धारा 447,427, 327/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय में पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी के नोटिस को जारी किया गया। जो तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रार्थी को उपस्थित होने हेतु अवसर भी दिया गया। अवसर देने के पश्चात उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा निर्णय विधिवत एवं न्यायासंगत होने के कारण अपीलांट की अपील सारहीन है। अतः अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार देचू से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।
7. धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।
8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि खसरा संख्या 67 एवं खसरा संख्या 69 कुल रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा का प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी/अपीलान्ट भोमाराम व किशनाराम भील पुत्र कानाराम के द्वारा कब्जा किये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 183 (ब) का प्रार्थना पत्र बेदखली की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय देचू द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी/अपीलांट को नोटिस जारी कर तलब किया गया है। अप्रार्थीगण किशनाराम को नोटिस व्यक्तिशः उम्मेदाराम सवार द्वारा तामील करवाया गया है। और भोमाराम का नोटिस उनके भाई किशनाराम को तामील करवाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन बार अवसर दिया गया है एवं नोटिस तामील होने के पश्चात भी जबाब पेश नहीं किया गया। उसके पश्चात एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रश्नगत आदेश जारी किया है।
9. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह कहना है कि प्रकरण में खातेदार अनुसूचित जाति का एवं अप्रार्थी अतिक्रमी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बधित होने पर धारा 183 बी के तहत बेदखली कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः धारा 183(ब) का प्रावधान प्रकरण में लागू नही होते है। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(ब) के प्रावधान अवलोकनीय है।

" धारा 183(ब) प्रावधान निम्नानुसार हैः– वह अतिक्रमी जिसने कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लिया है, अथवा कब्जा बनाए रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर जो कि उसे बेदखल कराने उस व्यक्ति या व्यक्तियों के आवेदन पर बेदखल कराने का हकदार हों, या राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से पचास गुनी तक हो सकेगी।

उपधारा (1) के अन्तर्गत दिये जाने वाले आवेदन पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दने के पश्चात संक्षिप्त रूप में की जायेगी। और यावत्साध्य विहित कालावधि के भीतर समाप्त की जायेगी।"

उक्त प्रावधान के अनुसार स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा धारित भूमि पर किसी अन्य द्वारा अतिक्रमण या अतिचार कर लिये जाने पर धारा 183(ब) के आवेदन पर बेदखली की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिचारी अप्रार्थी/अपीलांट को युक्तियुक्त अवसर प्रदान

जिला कलक्टर
फलोदी

Scanned with OKEN Scanner

किया है। एवं अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों से इस बाबत जांच कराई गई है। अतः इस आधार पर अपीलांट को अपील में कोई भी राहत प्रदान की जा सकती है।

10. अपीलांट ने प्रकरण में विवादित भूमि पर कब्जे का कोई आधार साबित नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ में प्रस्तुत दावा संख्या 79/2014 तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965 अधीन उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा दिनांक 14.10.2020 को खारिज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कब्जे का कोई आधार नहीं है।

11. अप्रार्थी द्वारा यह भी तर्क किया गया है। कि धारा 183 (B) में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। इस संबध में न्यायालय का विवेचन है कि धारा 183 (B) की कार्यावाही में धारा 183(B) की उपधारा 2 के प्रावधान के अनसार संक्षिप्त में कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। उक्त कार्यवाही यथासंभव 3 माह में करनी होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना की कराई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क भी चलने योग्य नही है।

12. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर गुणावगुण के अधार पर पारित निर्णय से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधि की पूर्णत पालना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपीलांट को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/5/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी